न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

वाद–पत्र संख्या 101/2017

दायरी दिनांक : 01/08/2017

निर्णय दिनांक : 24/7/2019

1/1 प्रकरण पुत्र गंगाराम, जाति गुर्जर, निवासी वार्ड नं.02, गुर्जरों का मौहल्ला, मु.पो.नानण, तहसील दूदू, जिला जयपुर राज0। (फौत)

1/1 नाबूडी पत्नि लक्ष्मण जाति गुर्जर निवासी वार्ड नम्बर 02 गुर्जरों का मौहल्ला, मु.पो. नानण तहसील दूदू, जिला जयपुर राज0

1/2 श्योजी
1/3 श्रवण
1/4 हरकरण
1/5 चेतन
1/6 जयराम
1/7 सुरज
1/8 भागचन्द

} पुत्रान लक्ष्मण समस्त जातियान गुर्जर निवासीगण वार्ड नम्बर 02, गुर्जरों का मौहल्ला, मु.पो. नानण तहसील दूदू, जिला जयपुर राज0

-- वादी

बनाम

तहसीलदारजी, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

-- प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88 रा0टी0ए0

उपस्थिति – श्री मुकेश चौधरी
विद्वान अधिवक्ता वादी

प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 24/7/19

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद–पत्र बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि खाता संख्या 199 के आराजी खसरा नम्बर 500, 505, 506 कुल किता 03 कुल रकबा 3.7900 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खाता संख्या 200 के आराजी खसरा नम्बर 493 रकबा 3.7900 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 3.7900 हैक्टेयर व खाता संख्या 201 के आराजी खसरा नम्बर 848 रकबा 0.0500 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.0500 हैक्टेयर वाके ग्राम नानण, तहसील दूदू, जिला जयपुर में स्थित है, जिसका वादी एकमात्र काबिज काश्त एवं खातेदार काश्तकार हैं तथा लगान सरकारी अदा करता आ रहा हैं। वादी के पिता का सही नाम गंगाराम है, जबकि वादी के उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी की वल्दियत

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned with CamScanner

रूघा दर्ज है, जो कि गलत है एवं काबिले दुरूस्ती योग्य हैं। इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात में वादी की वल्दियत गंगाराम का नाम दर्ज होना चाहिये था, लेकिन सहवन से राजस्व कारकुनानों की गलती से गंगाराम के स्थान पर रूघा दर्ज कर दिया गया है, जबकि वादी के समस्त दस्तावेजों परिचय–पत्र, राशनकार्ड, आधारकार्ड आदि सभी में वल्दियत गंगाराम की ही दर्ज है, जो सही है इसी प्रकार वादी के नाम दर्ज अन्य खाता संख्या 119 व 202 में वादी की सही वल्दियत गंगाराम दर्ज है, जिससे भी साबित है कि जो वल्दियत रूघा दर्ज की गयी है, वह मात्र सहवन से की गयी है एवं काबिले दुरूस्ती हैं। दिनांक 28/06/2017 को वादी ने किसान केडिट कार्ड बनवाने के लिये जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तो उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी हुई, इस पर वादी ने तहसीलदार एवं पटवार हल्का को दुरूस्ती इन्द्राज हेतु निवेदन किया तो तहसीलदार एवं पटवार हल्का ने दुरूस्ती इन्द्राज करने से इन्कार कर दिया, जिससे वादी को उक्त वाद–पत्र विरूद्ध प्रतिवादी बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

वादी ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि "वादी का वाद–पत्र विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाकर घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज इस आशय का किया जावें कि वाद–पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में दर्ज चालू राजस्व अभिलेखो में वादी का नाम लक्ष्मण पुत्र रूघा के स्थान पर लक्ष्मण पुत्र गंगाराम दर्ज किया जावें।"

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गयी। दिनांक 13/03/2019 को वकील वादी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व 151 जा0 दी0 तथा उसके साथ में प्रार्थना–पत्र दफा–5 मियांद अधिनियम का पेश किया गया जिस पर बहस पक्षकारान सुनी जाकर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया। वकील वादी को संशोधित शीर्षक पेश करने के आदेश दिये गये।

दिनांक 19/03/2019 को वकील वादी ने संशोधित शीर्षक पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी व पैरोकार की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी व पैरोकार की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076, फोटो प्रति आधारकार्ड, राशनकार्ड,

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

मतदाता पहचान–पत्र एवं पैरोकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 के खाता संख्या 199, 200, 201 में खातेदार का नाम लक्ष्मण पुत्र रूघा दर्ज है, जबकि वादी द्वारा अपने पिता का नाम रूघा के स्थान पर गंगाराम बताया है एवं इसी अनुसार दुरूस्त करवाना चाहा हैं। इस सम्बन्ध में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि आधारकार्ड, राशनकार्ड, पहचान–पत्र आदि सभी में वादी का नाम लक्ष्मण पुत्र गगाराम दर्ज है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत अन्य जमाबन्दी खाता संख्या 119 व 202 में भी वादी के पिता का नाम गंगाराम ही दर्ज है, जिससे यह साबित है कि वादी के पिता का सही एवं वास्तविक गंगाराम ही है जो इन्द्राज हाल जमाबन्दी में वादी के पिता का नाम रूघा दर्ज किया गया है, वह मात्र सहवन से लिपिकीय भूलवश होना पाया जाता हैं। ऐसी स्थिति में वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 199 के आराजी खसरा नम्बर 500, 505, 506 कुल किता 03 कुल रकबा 3.7900 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खाता संख्या 200 के आराजी खसरा नम्बर 493 रकबा 3.7900 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 3.7900 हैक्टेयर व खाता संख्या 201 के आराजी खसरा नम्बर 848 रकबा 0.0500 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.0500 हैक्टेयर वाके ग्राम **नानण**, तहसील दूदू, जिला जयपुर में दर्ज खातेदार लक्ष्मण की वल्दियत रूघा के स्थान पर गंगाराम दर्ज की जाती है पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24/7/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

Scanned with CamScanner

डिग्री मुकद्दमा इन्फिसाल कतई

आन्तिम डिग्री

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दूदू
श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत (R.A.S.) मुकाम

... श्री गंगाराम स्वामी कि० ... बनाम तहसीलदार तहसील दूदू

... दावा बाबत ... दुरुस्ती इन्द्राज

... मुकदमा नं. 101/2012 सन्

... आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री मुकेश चौधरी RSO

मिनजानिब मुद्दई रूबरू

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता सं० 199 के खसरा नं. 500, 505, 506 कुल किता 03 कुल रकबा 3.7900 हे० सम्पूर्ण व खाता सं० 200 के खसरा नं. 493 रकबा 3.7900 हे० कुल किता-1 कुल रकबा 3.7900 हे० व खाता सं० 201 के खसरा नं. 848 रकबा 0.0500 हे० कुल किता 1 कुल रकबा 0.0500 हे० वाके ग्राम नानगा तहसील दूदू जिला जयपुर में दर्ज खातेदार लक्ष्मण की वल्दियत रूघा के स्थान पर गंगाराम दर्ज की जावेंगी।

मुतल्लिग ... बाबत ... फरीकैन ... ना आज की तारीख से ... अदायगी तक ... को अदा करे।

आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24 माह 07 सन् 2019 को ... गई।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी दूदू जयपुर, राजस्थान)

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी

ओहदा दूदू

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
... वजह सबूत			महन्ताना वकील		
...ना वकील			खर्चा गवाहान		
गवाहान			फीस कमिश्नर		
कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
...िक					
मीजान			मीजान		

...खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned with CamScanner